[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ] भारत सरकार पर्यावरण और वन मंत्रालय

नई दिल्ली, तारीख, 22 अगस्त, 2013 अधिसूचना

का. आ. 2558(ई).- केन्द्रीय सरकार ने भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 20 (अ) तारीख 6 जनवरी, 2011 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है) के द्वारा कतिपय क्षेत्रों को द्वीप संरक्षण क्षेत्र के रूप में घोषित किया था और उक्त क्षेत्र में उद्योगों के विस्तातर,स्थापित करने और उनके प्रचालन और प्रंसस्करण पर निर्वंधन अधिरोपित किए गए थे।

और, अंदमान और निकोबार द्वीप समूह के संघशासित क्षेत्र के अंदमान निकोबार प्रशासन द्वारा उक्त राज्य क्षेत्र के तटीय विनियमन क्षेत्र में बालू के खनन पर उपर्युक्त अधिसूचना द्वारा लगाए गए निर्बंधनों और द्वीप समूह में वैकल्पिक निर्माण सामग्री उपलब्ध न होने के कारण उक्त क्षेत्र के स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सहन की जा रही कठिनाइयों की ओर केन्द्रीय सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया है ;

और, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा 1995 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 202 में अपने आदेश तारीख 7 मई, 2005 में अंदमान और निकोबार द्वीप समूह में बालू के खनन पर आदेश पारित किया गया था;

और, केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि लोकहित में उक्तप अधिसूचना का संशोधन करने के लिए पर्यावरण (संरक्षण) नियमों के नियम 5 के उपनियम (5) के खंड क के अधीन सूचना देने की अपेक्षा से अभिमुक्ति दी जानी चाहिए ;

अतः अब केन्द्रीय सरकार पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप-नियम (3) और उप-नियम (4) के खंड (घ) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिसूचना में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में,--

- (1) पैरा 1 में, मद ख में "बृहत्तणर निकोबार"' शब्दोंश के पश्चा(त्"बाराटांग, हेवलॉक, छोटा अंदमान, कार निकोबार,नील और लोंग द्वीप" शब्दब अंतःस्था पित किए जाएंगे
 - (2) पैरा 3 में मद घ में

- (क) शीर्ष 3 के अधीन, आईसीआरजेड-।।। से संबंधित, उपमद (क) के पश्चा"त् निम्निलिखित परंतुक अंतःस्थाशिपत किया जाएगा, अर्थात् "परंतु यह कि आर्थिक पर्यटन कार्यकलापों के विकास के लिए एनडीजेड 50 मीटर होगा और अंदमान और निकोबार प्रशासन यह सुनिश्चिलत करेगा कि मछुआरा समुदायों की जीविका और हितों की पूरी तरह से संरक्षा की जाए। जब परिसंकट रेखा अंकित की जाए और या 50 मीटर से परे होती है तो परिसंकट रेखा को एनडीजेड सीमा माना जाएगा।",
- (ख) शीर्ष 5 के अधीन "वह अवधि जिसके लिए आईसीआरजेड और आईआईएमपी वैध रहेंगे" से संबंधित उपमद (ii) के स्था न पर निम्नेलिखित उपमद रखी जाएगी, अर्थात् --
- "(i i) पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा पहले से ही अनुमोदित तटीय खंड प्रबंध योजना का 31 जनवरी, 2014 तक उपयोग किया जाएगा । ";
- (ग) शीर्ष 7 के अधीन "अंदमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में निम्नलिखित गतिविधियां प्रतिबंधित होंगी " से संबंधित उपमद (xvi) के पश्चात् निम्न्लिखित उपमद अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

"(xvi a) सन्निर्माण के प्रयोजनों के लिए बालू का खनन:

पंरतु यह कि बालू का खनन पहचान किए गए गैर-आर्थिक संवेदनशील और अनुमोदित क्षेत्रों में निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए किया जाएगा, अर्थात् :-

- (i) बालू का खनन केवल पहचान किए गए और अनुमोदित क्षेत्रों में अंदमान और निकोबार सीजेडएमए में सिन्न मीण प्रयोजन के लिए अनुज्ञात किया जाएगा और वे खनन योजना के आधार पर अनुज्ञा देने पर विचार कर सकेंगे और संवेदनशील तटीय पारिस्थिकी-प्रणालियों जिसके अंतर्गत प्रवाल, कछुए, मगरमच्छ, पिक्षयों के आश्रय-स्थल तथा संरक्षित क्षेत्र हैं, को नुकसान से बचाने के लिए पर्याप्त सुरक्षोपाय निर्धारित करेंगे;
- (ii) कुल खनन की जाने बालू की मात्रा को माननीय उच्च्तम न्या यालय की तारीख 7 मई, 2002 की रिट याचिका (सिविल) सं. 1995 की 202 में दिए गए आदेश के अनुसार नियत किया जाएगा;
 - (iii) बालू के खनन की मानीटरी अंदमान और निकोबार द्वीप समूह के उप राज्यसपाल द्वारा मुख्यब सचिव, अंदमान और निकोबार प्रशासन के अधीन गठित समिति जो (1) मुख्या सचिव, अंदमान और निकोबार, प्रशासन द्वारा (2) सचिव, पर्यावरण विभाग (3) सचिव, जल संसाधन विभाग (4) सचिव, अंदमान और निकोबार लोक निर्माण विभाग (5) पर्यावरण और वन मंत्रालय, भुवनेश्व,र के स्थाननीय कार्यालय के प्रतिनिधि और (6)

अंदमान और निकोबार आधारित गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों से मिलकर बनेगी, द्वारा किया जाएगा ।"

[सं0जेड-12-3/2008-आईए.।।]

(मनिन्दर सिंह)

संयुक्तन सचिव, भारत सरकार

टिप्पण -(1) मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में का. आ. सं. 20 (अ), तारीख 6 जनवरी, 2011 द्वारा प्रकाशित की गई थी (2) पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा अनुमोदित सीजैडएमपी 5 जनवरी, 2013 तक वैध थी। सीजैडएमपी की वैधता को भूतलक्षी प्रभाव देने से किसी व्यैक्ति जिसको यह नियम लागू होंगे पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

Government of India Ministry of Environment and Forests

New Delhi, the 22nd August, 2013

NOTIFICATION

S.O.2558 (E).- Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests number S.O.20 (E), dated the 6th January, 2011 (hereinafter referred to as the said notification), the Central Government declared certain areas as Island Protection Zones and restrictions were imposed on the setting up and expansion of industries, operations and processes in the said Zone;

And whereas the Andaman and Nicobar Administration of the Union territory of the Andaman and Nicobar Islands has drawn the attention of the Central Government to the difficulties being faced by the local population of the said territory due to lack of alternative construction materials available in the Islands and the restrictions imposed by the aforesaid notification on mining of sand in the Coastal Regulation Zone in the said territory;

And whereas, the Hon'ble Supreme Court *vide* its Order dated the 7th May, 2002 in Writ Petition (Civil) No.202 of 1995 had passed Orders on mining of sand in Andaman and Nicobar Islands;

And whereas, the Central Government is of the opinion that it is in public interest to dispense with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules for amending the said notification;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with clause (d) of sub-rule (3) and sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following amendments in the said notification, namely:-

In the said notification,

(1) in paragraph I, in item B, after the words "Greater Nicobar", the words "Baratang, Havelock, Little Andaman, Car Nicobar, Neil and Long islands" shall be inserted.;

- (2) in paragraph III, in item D,
- (a) under heading 3, relating to 'ICRZ-III', after sub-item (a), the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided that the NDZ for the development of eco-tourism activities shall be 50 mts. and the Andaman and Nicobar Administration shall ensure that the livelihood and concerns of the fishing community are fully protected. When the hazard line is delineated and if it falls beyond 50 mts, the hazard line shall be considered as the NDZ limit."

- (b) under heading 5, relating to 'period for which ICRZ and IIMPs shall be valid', for sub- item (ii), the following sub- item shall be substituted, namely:-
- "(ii) the Coastal Zone Management Plans already approved by the Ministry of Environment and Forests shall be used till the 31st January, 2014.";
- (c) under heading 7, relating to 'The following activities prohibited in the islands of A&N and Lakshadweep', after sub-item (xvi), the following sub-item shall be inserted, namely:"(xvia) mining of sand for construction purpose:

Provided that the mining of sand shall be permitted in identified non eco-sensitive and approved sites, subject to the following conditions, namely:-

- (i) mining of sand shall be permitted only in identified and approved sites (accreting areas identified by the Institute for Ocean Management (IOM), Chennai), for construction purpose by A&N CZMA and they may consider permission based on mining plans and shall stipulate sufficient safeguards to prevent damage to the sensitive coastal eco-system including corals, turtles, crocodiles, birds nesting sites and protected areas;
- (ii) the total quantity of sand to be mined shall be fixed taking into consideration the Order of Hon'ble Supreme Court dated the 7th May, 2002 in Writ Petition (Civil) No.202 of 1995;
- (iii) the sand mining shall be monitored by a Committee constituted by the Lieutenant Governor of the Andaman and Nicobar Islands under the Chief Secretary, Andaman and

Nicobar Administration consisting of (i) the Chief Secretary, Andaman and Nicobar Administration (2) the Secretary, Department of Environment (3) the Secretary,

Department of Water Resources (4) the Secretary, Andaman Public Works Department (5) representative from the Regional Office of the Ministry of Environment and Forests, Bhubaneshwar and (6) representative of a Non-Governmental Organisation based at Andaman and Nicobar."

[No. 12-3/2008-IA.III]

(Maninder Singh)
Joint Secretary to the Government of India

Note: (1) The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* numbers S.O.20 (E), dated the 6th January, 2011.

(2) The CZMPs approved by the Ministry of Environment and Forests were valid till the 5th January, 2013. Extending the validity of CZMPs with retrospective effect shall not prejudicially affect the interest of any person to whom such rules may be applicable.